

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—82/2019 (2019/00224) वादपत्र
अनवान

1. शंकरदेवी पत्नि हरलाल जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. पारस पुत्र हरलाल जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पुत्र माधु जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रोशनलाल पुत्र माधु जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. आशा पुत्री माधु नाबालिक जरिये सरक्षक भाई जगदीश पुत्र माधु जाट निवासी कोट,
5. सोहन पुत्र जैसिंग जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मांगीलाल पुत्र जैसिंग जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सुखलाल पुत्र जैसिंग जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. कंकु पुत्री जैसिंग जाट पत्नि डालुराम निवासी कोट, हाल दुल्हेपुरा तहसील रायपुर
9. रूकमण पुत्री जैसिंग जाट पत्नि भैरूलाल निवासी कोट, हाल गलवा तहसील रायपुर
10. चांदी पुत्री जैसिंग जाट पत्नि जीतु निवासी कोट, हाल भोलीखेड़ा तहसील सहाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. ग्राम सेवा सहकारी समिति कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. सुनिल कुमार जैन -
2. फारूख मोहम्मद -

अधिवक्ता वादीया

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6, 7

निर्णय

दिनांक 23.12.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 30.09.2021 के द्वारा वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कोट तहसील रायपुर के के खाता संख्या 468 में निम्न वर्णित आराजी संख्या 2477 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 2478 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 है0 भूमि में वादीया का 1/12 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर करने का आदेश दिया गया था।



[Signature]


तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 25.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 128 में प्रस्तावित आराजी संख्या 2478/3 रकबा 0.03 है० भूमि शंकरदेवी पत्नि हरलाल जाट सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2477/3 रकबा 0.06 है०, आराजी संख्या 2478/2 रकबा 0.02 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.08 है० भूमि जगदीश रोशनलाल पिता माधु आशा पुत्री माधु नाबाबेवि सरंक्षक भाई जगदीश जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2477/1 रकबा 0.11 है०, आराजी संख्या 2478/1 रकबा 0.05 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.16 है० भूमि सोहनलाल मांगीलाल सुखलाल पिता जेसिंग 7/8 कंकु रूकमण चान्दी पुत्रीयां जेसिंग 1/8 सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2477/2 रकबा 0.06 है० भूमि पारस पिता हरलाल जाट सा.देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




23.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला मीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—82/2019 (2019/00224) वादपत्र

अनवान

1. शंकरदेवी पत्नि हरलाल जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. पारस पुत्र हरलाल जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पुत्र माधु जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रोशनलाल पुत्र माधु जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. आशा पुत्री माधु नाबालिक जरिये सरक्षक भाई जगदीश पुत्र माधु जाट निवासी कोट,
5. सोहन पुत्र जैसिंग जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मांगीलाल पुत्र जैसिंग जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सुखलाल पुत्र जैसिंग जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. कंकु पुत्री जैसिंग जाट पत्नि डालुराम निवासी कोट, हाल दुल्हेपुरा तहसील रायपुर
9. रूकमण पुत्री जैसिंग जाट पत्नि भैरूलाल निवासी कोट, हाल गलवा तहसील रायपुर
10. चांदी पुत्री जैसिंग जाट पत्नि जीतु निवासी कोट, हाल भोलीखेड़ा तहसील सहाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. ग्राम सेवा सहकारी समिति कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे खाता संख्या 128 में प्रस्तावित आराजी संख्या 2478/3 रकबा 0.03 है0 भूमि शंकरदेवी पत्नि हरलाल जाट सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2477/3 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 2478/2 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 भूमि जगदीश रोशनलाल पिता माधु आशा पुत्री माधु नाबावेवि सरक्षक भाई जगदीश जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2477/1 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 2478/1 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 है0 भूमि सोहनलाल मांगीलाल सुखलाल पिता जैसिंग 7/8 कंकु रूकमण चान्दी पुत्रीयां जैसिंग 1/8 सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2477/2 रकबा 0.06 है0 भूमि पारस पिता हरलाल जाट सा.देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 23.12.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।




23-12-2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा